नरेन्द्र कुमार सिंह, भा0प्र0से0, समाहर्त्ता–सह–जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 03.02.2014 को सम्पन्न जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

* **उपस्थिति :–**
  1. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
  2. मो0 अमजद अली, निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर।
  3. डॉ0 रविन्द्र नाथ, प्रभारी पदा0 (बन्दोवस्त)–सह–जिला राजस्व शाखा, मुंगेर।
  4. डॉ0 ईश्वरचन्द्र शर्मा, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, मुंगेर।
  5. श्री भानू प्रकाश, वरीय उपसमाहर्त्ता, मुंगेर।
  6. डॉ0 आजाद शहाबुद्दीन, जिला परिवहन पदा0, मुंगेर।
  7. श्री रविशंकर उरॉव, व0उ0समा0 प्रभारी, जिला विधि।
  8. एहसान अहमद, व0उ0समा0 प्रभारी, जिला विकास शाखा, मुंगेर।
  9. श्री कुमार प्रशान्त, खास महाल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर।
  10. श्री राजेन्द्र दास, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुंगेर।
  11. श्री अनिल राय, उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर।
  12. श्री ज्ञानेश्वर प्रकाश, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर
  13. श्री कुमार प्रेमनाथ, जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
  14. श्री चन्द्र किशोर वैद्य, जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर।
  15. मु0 खिलाफल अंसारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
  16. श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर।
* **अवकाश अथवा अन्य विशेष कारण से अनुपस्थित पदाधिकारी :–**
  17. श्री श्यामानन्द झा, नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर।
  18. श्री रत्नेश कुमार, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
  19. श्री संजय प्रियदर्शी, निदेशक, डी0आर0डी0ए0, मुंगेर।
  20. श्री आलोक कुमार, प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मुंगेर।
  21. श्री विरेन्द्र कुमार, व0उ0समा0 प्रभारी, नीलाम पत्र, मुंगेर।

साप्ताहिक समीक्षा बैठक में महत्वाकांक्षी एवं प्राथमिकता आधारित कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रगति की समीक्षा के क्रम में संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निम्न निदेश दिए गए :–

1. जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर यथाशीघ्र अल्लसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर को विभागीय निदेशानुसार सभी संबंधित संचिकाओं का पूर्ण प्रभार दो दिनों के अन्दर सौपना सुनिश्चित करें तथा उनके कार्यालय में आवश्यकतानुसार किसी उर्दू अनुवादक/लिपिक की प्रतिनियुक्ति के पूर्व जिला कल्याण कार्यालय में कार्यरत् कर्मियों की सूची उपलब्ध कराएँगे।
2. चूँकि जिले में पदस्थापित वरीय उपसमाहर्त्ता विभिन्न कार्यालयों/शाखाओं के प्रभार में हैं एवं उनके द्वारा विभागीय पदाधिकारी के रूप में कई कार्यालयों/शाखाओं के वेश्म/कक्ष का उपयोग किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में वरीय उपसमाहर्त्ताओं को निदेश दिया गया कि आपसी समन्वय स्थापित कर सुविधानुसार किसी एक कार्यालय/शाखा के वेश्म का चयन कर उपयोग करें।
3. मनरेगा दिवस एवं अन्य स्रोतों से मनरेगा योजनाओं की जांचोपरान्त कृत कार्रवाईयों में कई ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं कि जॉचोपरान्त दोषी पंचायत रोजगार सेवक को दण्ड स्वरूप सेवामुक्त करने कर दिया गया है, परन्तु उसी आरोप में संबंधित सहायक/कनीय अभियंता के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जो न्यायोचित नहीं है। अतएव ऐसे मामलों की सूची तैयार कर स्वच्छ न्याय के अनुरूप अनियमितता बरतने वाले सभी संबंधित दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों/अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाए।
4. उप विकास आयुक्त, निदेशक, डी0आर0डी0ए0, मुंगेर, निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर को निदेश दिया जाता है कि मनरेगा दिवस के दौरान पंचायतों में कार्यान्वित योजनाओं की जांच हेतु प्रतिनियुक्त जांच पदाधिकारी द्वारा दिए जाने वाले जांच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित अभिलेख, मापी पुस्तिका एवं पंचायत रोकड़ पंजी के आधार पर विस्तृत जांच कर दोषी कर्मी/व्यक्ति के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
5. निदेशक, डी0आर0डी0ए0 के अवकाश में रहने के कारण SECC के प्रगति की समीक्षा नहीं की जा सकी जिसके कारण पूर्व प्रदत्त निदेश यथावत् रखे जाते हैं कि

SECC अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले कार्यों की नियमित समीक्षा हेतु प्रखंडवार नामित किए गए नोडल पदाधिकारियों से साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करें एवं प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएँगे ताकि नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

6. निदेशक, डी0आर0डी0ए0, मुंगेर को निदेश दिया गया कि अबतक विहित प्रपत्र में प्राप्त हुए दावे/आपत्तियों को जांचोपरानत प्रविष्टि COTS Software में करते हुए अंतिम रूप दिया जाए इन सभी कार्यो का दैनिक समीक्षा उप विकास आयुक्त भी स्वयं अनुश्रवण करते हुए प्रगति प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएँगे।
7. प्रखंड/अंचल के नामित वरीय उपसमाहर्त्ता–सह–नोडल पदाधिकारी (Mentor) को ही SECC अन्तर्गत प्राप्त होने वाले अपीलों की सुनवाई हेतु अपीलीय पदाधिकारी नामित किया गया है। इस हेतु इन्हें क्षेत्र भ्रमण के दौरान SECC के कार्यों की विशेष समीक्षा करने का निदेश दिया गया।
8. नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर अतिक्रमणमुक्त कराए गए बस पड़ाव एवं अन्य स्थानों की साफ–सफाई नियमित रूप से कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएँगे।
9. **RTPS :–** लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत **"तत्काल सेवा"** एवं RTPS के सफल संचालन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को भी निम्न निदेश दिए जाते हैं :–
    - आर0टी0पी0एस0 अधिनियम के अन्तर्गत जिन कर्मियों पर दण्ड स्वरूप राशि की अधिरोपित की गई है, उनसे शत–प्रतिशत राशि की वसूली सुनिश्चित कर प्रतिवेदन समर्पित की जाए।
    - नोडल पदाधिकारी (Mentor) RTPS काउण्टरों के आस–पास दलाली व्यवस्था पूर्णरूपेण बंद करने हेतु कार्यालय खुलने के समय तथा बंद होने के पूर्व औचक निरीक्षण कर दलालों को पकड़कर उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
    - आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर सभी RTPS स्थलों का नियमित भ्रमण करेंगे तथा बैकलॉग सुधारने हेतु यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
10. नोडल पदाधिकारी (Mentor), जमालपुर प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय को निदेश दिया गया कि वर्तमान में कार्यरत् प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय को गंगा पम्प नहर सिंचाई प्रमंडल के परिसर में स्थानान्तरित करने की अद्यतन जानकारी से अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब अवगत कराया जाए।
11. नोडल पदाधिकारी (Mentor) को निदेश दिया गया कि क्षेत्र भ्रमण/कार्यालय निरीक्षण एवं साप्ताहिक प्रखंड स्तरीय बैठकों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन मद की राशि बारम्बार निदेश के बावजूद अधिकतम राशि समायोजित नहीं करने वाले कम–से–कम एक पंचायत सेवक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को नहीं दिया है। यह अत्यन्त ही दुखद है। अतः इसका अनुपालन अविलम्ब कर प्रस्ताव दें।
12. नोडल पदाधिकारी (Mentor) यह भी प्रतिवेदित करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में सामाजिक सुरक्षा मद से प्रखंडों को उपलब्ध कराए गए धोती, साड़ी एवं कम्बल का उठाव कर शत–प्रतिशत वितरण अहर्तित लाभुकों के बीच किया गया है अथवा नहीं। वितरण कर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एक सप्ताह में उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजें।

पूर्व साप्ताहिक बैठकों में प्रदत्त निदेशों के अनुपालन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिए गए जिसका सारांश निम्न है :–

13. जिले में प्रा0स्वा0के0/अति0प्रा0स्वा0के0/आंगनबाड़ी केन्द्र/कला भवन/सामुदायिक भवन/पंचायत सरकार भवन/विद्यालय भवन/प्रखंड–सह–अंचल भवन/थाना भवन/लैंड बैंक/मनरेगा भवन इत्यादि के लिए भूमि उपलब्धता हेतु भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
14. पूर्व बैठक में प्रदत्त निदेश के आलोक में सहायक निदेशक सामाजिक, सुरक्षा, मुंगेर व्यक्तिगत रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि के वितरण कार्यक्रम एवं सभी प्रकार की गतिविधियों की वास्तविक समीक्षा करने हेतु सभी प्रखंडों का स्थलीय निरीक्षण कर संभावित त्रुटियों/कमियों का निराकरण कराएँगे। उक्त निदेश का अनुपालन नहीं किया जाना खेदजनक है। अतः पूर्व प्रदत्त निदेश का अनुपालन हरहाल में किया जाए तथा स्थलीय निरीक्षण के दौरान यह विशेष समीक्षा की जाए कि किन पंचायत सचिवों के पास सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि समायोजन हेतु अभी भी लंबित

है। तत्पश्चात् उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई हेतु प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे।

15. यह सर्वविदित है कि दाखिल–खारिज मामलों के अपीलीय प्राधिकार भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता होते हैं, परन्तु किसी भी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा कालबाधित (Time Bond) आवेदन पत्रों के मामले में दण्ड स्वरूप कोई राशि वसूल नहीं की जा रही है। अतएव निदेश दिया गया कि कालबाधित (Time Bond) दाखिल–खारिज आवेदन पत्रों की समीक्षा करते हुए RTPS प्रावधानानुसार दण्ड अधिरोपित करने एवं राशि वसूलने की कार्रवाई करेंगे।

16. भू–अभिलेख कम्प्यूटराईजेशन अन्तर्गत विभागीय प्रपत्र–2 (रैयत का स्वघोषणा), प्रपत्र–3 (राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन) एवं प्रपत्र–4 (वैसे रैयत जिनके जमीन का सत्यापन नहीं हो पाया है), की भी जांच वरीय पदाधिकारी (Mentor) एवं अन्य टी0एच0आर0 दिवस एवं मनरेगा दिवस में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी करेंगे।

17. कबीर अन्येष्टि योजना एवं पारिवारिक लाभ योजना में प्रखंडों को उपावंटित राशि के विरूद्ध वितरण की स्थिति की भी जांच वरीय पदाधिकारी (Mentor) सुनिश्चित करेंगे।

18. निर्वाचन कार्यों का अनुश्रवण प्रखंड स्तर पर वरीय पदाधिकारी (Mentor) नियमित रूप से करेंगे।

19. टी0एच0आर0 एवं मनरेगा दिवस में जांच हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उपरोक्त दिवसों में विद्यालय/कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय/उत्प्रेरण केन्द्र/आंगनबाड़ी में संचालित मध्याह्न भोजन योजना/कन्या विवाह योजना/सामाजिक सुरक्षा पेंशन/BRGF, 13वाँ वित्त आयोग, चतुर्थ वित्त आयोग, एकीकृत कार्य योजना (IAP), आपकी सरकार आपके द्वार इत्यादि की भी जांच अवश्य करें तथा अधोहस्ताक्षरी को वास्तविक वस्तुस्थिति संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध करायें ताकि दोषी कर्मियों/व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके।

15. पूर्व सम्पन्न बैठक में निर्णित निदेश, यथा– प्रखंड–सह–अंचल के नामित वरीय उपसमाहर्त्ता की अध्यक्षता में प्रत्येक सप्ताह वृहस्पतिवार को प्रखंड–सह–अंचल स्तरीय बैठक का आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी की उपस्थिति में करेंगे जिसमें विशेषकर RTPS काउण्टर, कैशबुक का अद्यतन संधारण, मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, छात्रवृत्ति, साईकिल, पोशाक, मध्याह्न भोजन योजना, पोषाहार वितरण, AC, DC बिल, स्वास्थ्यपरक योजना, हल्का कर्मचारी के कार्यो इत्यादि महत्वपूर्ण योजनाओं की गहन समीक्षा करेंगे। इसी आलोक में आयुक्त, मुंगेर, प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 2388/वि0, दिनांक 31.05.13 के अनुरूप प्रखंड–सह–अंचल के नामित वरीय उपसमाहर्त्ता (Mentor) को निदेश दिया गया था कि वे कम–से–कम एक दिन तत्काल साप्ताहिक बैठकों में निर्धारित तिथि वृहस्पतिवार को समीक्षा के लिए प्रखंड–सह–अंचल जाएंगे तथा समीक्षा कर एक प्रतिवेदन दूसरे दिन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएंगे। परन्तु इसका शत–प्रतिशत अनुपालन नहीं किया जाना खेदजनक है। अतएव पुनश्च निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक वृहस्पतिवार को उक्त बैठक का आयोजन अपनी अध्यक्षता में करते हुए बैठक की कार्यवाही की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को बैठक के दो दिन पश्चात् निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे अपने कर्त्तव्य के प्रति तत्पर एवं कार्यकुशल नहीं हैं। सहजता हेतु उक्त बैठक में गहन समीक्षा हेतु निम्नलिखित मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख पुनश्च किया जाता है :–

- लोक सेवा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत सेवावार वितरण पंजी के अद्यतन संधारण एवं प्रावधानानुसार कार्य संपादन की जाँच करना।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन अन्तर्गत प्रखंड/पंचायत स्तरीय कर्मियों द्वारा अग्रिम राशि प्राप्ति के पश्चात् विपत्र समर्पित न कर अपने पास ही रखे हुए हैं, जो गबन का मामला बनता है। समीक्षोपरान्त ऐसे मामले परिलक्षित होने पर निरीक्षण टिप्पणी में अंकित करते हुए दोषी पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रस्ताव देना।
- वैसे पेंशनधारी, जिन्हें पूर्व में डाकघर के माध्यम से पेंशन की राशि का भुगतान होता था, परन्तु वर्तमान में किन्हीं कारणों से इन्हें पेंशन भुगतान नहीं हो रहा है तो ऐसे लाभुकों को पोस्ट ऑफिस के खाता संख्या/PPO संख्या के आधार पर वितरण पंजी के माध्यम से अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण कर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उचित पहचान कर भुगतान किया जाना।

- बिहार शिक्षा परियोजना/सर्व शिक्षा अभियान के तहत् कार्यान्वित् योजनाओं के प्रगति की समीक्षा/जांच हेतु प्राथमिक/मध्य/उच्च विद्यालयों/कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय/उत्प्रेरण केन्द्र का भी स्थलीय निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणी से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना।
- आई0सी0डी0एस0 निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न विकासोन्मुखी योजनाओं, यथा–आंगनबाड़ी केन्द्र/भवन/केन्द्रों में कार्यान्वित योजनाओं/ सेविका/सहायिका के कार्य/पोषाहार की स्थिति की गहन समीक्षा/ स्थलीय निरीक्षण कर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना।
- विभिन्न स्रोतों से प्रायः ऐसी शिकायत प्राप्त होती रहती है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि स्वीकृत्योपरान्त अभी तक वितरित नहीं की गई है। समीक्षोपरान्त ऐसे मामले प्रकाश में आने पर तत्क्षण यथोचित कार्रवाई कर प्रतिवेदन देना।

16. विदित हो कि विभाग द्वारा सरकारी भूमि (शहरी) का सर्वेक्षण कर अतिक्रमण पाए जाने पर उक्त भूमि को अतिक्रमणमुक्त करते हुए घेराबन्दी कराने का निदेश प्राप्त हुआ है, जिसके लिए अधियाचना प्राप्त कर आवश्यकतानुसार राशि की मांग की जानी है। इस कार्य के लिए शहरी क्षेत्रान्तर्गत अंचल अधिकारी, यथा–सदर, जमालपुर, तारापुर एवं खड़गपुर को निदेश दिया जाता है कि बिना अनुमति प्राप्त किए सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाते हुए भा0द0वि0 की धारा 107 का प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी को देंगे। साथ ही अतिक्रमणमुक्त सरकारी भूमि की घेराबन्दी हेतु अधियाचना अपर समाहर्त्ता, मुंगेर को उपलब्ध करायेंगे। इस कार्य का पर्यवेक्षण अपर समाहर्त्ता, मुंगेर विशेष तौर पर करेंगे।
17. प्रभारी वरीय उपसमाहर्त्ता, जिला विकास शाखा को निदेश दिया गया कि सभी मदों के लंबित ए0सी0 विपत्रों के लिए डी0सी0 विपत्र तैयार कर समायोजन हेतू महालेखाकार को भेजने हेतू अपेक्षित कार्रवाई करेंगे।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी। 4/2/14

(नरेन्द्र कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 259 /गो0, दिनांक 04/02/14

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/अपर समाहर्त्ता, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी शाखा/कार्यालयों के वरीय पदाधिकारी/जिला सूचना एवं जनसमपर्क पदाधिकारी, मुंगेर//आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/2/14

(नरेन्द्र कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।